आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

वार्षिक लेखा
2021-22

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

(विषय सूची)

क्र. सं.	संक्षिप्त विवरणिका	पृष्ठ सं.
1.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	i-iv
2.	तुलन पत्र	1
3.	आय-व्यय खाता	2
4.	प्राप्ति तथा भुगतान खाता	3
5.	अनुसूची 1 से 16	4-13
6.	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप मे संलग्न महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां (अनुसूची-17)	14-17
7.	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप मे संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आकस्मिक देनदारियाँ (अनुसूची -18)	18-22

संख्या / No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

गोपनीय

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

दिनांक / Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
आवासन और शहरी कार्य मत्रालय
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड
नई दिल्ली-110011

विषय-वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के लेखाओ पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के वर्ष 2021-22 के सत्यापित लेखाओं की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्ष प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनो के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखों को शासी निकाय (Governing body) को नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद में प्रस्तुत किए गये थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता.
(दीपक कपूर)
महानिदेशक

संख्याः- DGA/Infra/IIAO-I/27-98/2021-22/Vol-II/279

दिनाँकः-18/10/2022

प्रतिलिपिः-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB), प्रथम तल, कोर-IV, भारत पर्यावास केन्द्, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

दीपक
(दीपक कपूर)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March 2022

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31 March 2022 and Income and Expenditure Account / Receipt and Payment Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report / CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account / Receipt and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under Rule 33 (1) and (2) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं			
रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि (कोष/पूंजी निधि)	1	63,63,31,87,932	59,49,38,66,473
विशेष आरक्षित	2	0	0
निर्धारित/बंदोबस्ती (एडोमेंटकोष)	3	1,400	1,400
सुरक्षित ऋण	4	8,11,44,81,155	9,05,75,46,108
असुरक्षित ऋण	5	0	0
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	6	63,65,00,187	60,17,57,825
कुल		**72,38,41,70,674**	**69,15,31,71,806**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	7	61,81,156	52,29,551
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	8	56,90,93,613	49,85,55,545
निवेश - एनसीआरटीसी में योगदान	9	5,00,00,000	5,00,00,000
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	10	71,75,88,95,905	68,59,93,86,710
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक)			
योग		**72,38,41,70,674**	**69,15,31,71,806**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद (योगदान)		तुलन पत्र में अंतरित	तुलन पत्र में अंतरित
अनुदान/इमदाद (वेतन और सामान्य)		5,10,00,000	4,93,00,000
शुल्क और अभिदान		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से आय		0	0
रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री से आय		450	0
अर्जित ब्याज	11	4,00,72,61,955	4,08,14,26,090
अन्य आय	12	1,07,32,076	1,67,43,687
तैयार माल के स्टाक में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		(225)	(581)
योग (क)		**4,06,89,94,256**	**4,14,74,69,196**
व्यय			
स्थापना व्यय	13	14,59,51,962	14,44,29,042
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	2,22,84,621	2,25,06,464
बाजार ऋण पर व्यय	15	25,81,43,491	40,02,92,311
मूल्यह्रास अनुसूची -7 के अनुरूप	7	15,15,746	9,09,883
अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय		0	0
कुल (ख)		**42,78,95,820**	**56,81,37,700**
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख)		**3,64,10,98,436**	**3,57,93,31,496**
पूर्व-अवधि व्यय (निवल)	16	17,76,977	6,65,03,774
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व (बीआरआर) में अंतरित		0	0
उप योग		**17,76,977**	**6,65,03,774**
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरित		**3,63,93,21,459**	**3,51,28,27,722**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	17		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	18		

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	**निदेशक (प्र. एवं वित्त)**	**सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2022 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ व भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
I. आरम्भिक शेष			I. व्यय		
क) हाथ में रोकड	0	0	क) स्थापना व्यय	9,47,15,039	11,49,10,356
ख) बचत खाते में शेष	45,49,489	2,08,26,311	*(अनुसूची -13 के अनुरूप)*		
ग) भविष्य निधि बचत खाते में शेष	2,16,768	1,14,229	ख) प्रशासनिक व्यय	1,82,54,708	2,22,60,133
घ) नकद व नकद तुल्य	0	520	*(अनुसूची-14 के अनुरूप)*		
उप योग	**47,66,257**	**2,09,41,060**	ग) बाजार उधारी पर व्यय	21,69,30,645	27,92,56,168
			(अनुसूची-15 के अनुरूप)		
II) प्राप्त अनुदान			II. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रदान किया गया ऋण	2,05,78,82,000	3,46,99,00,000
क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से योगदान	50,00,00,000	35,00,00,000			
ख) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से योगदान राजस्व अनुदान	5,10,00,000	4,93,00,000			
III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस व सेवानिवृत्ति लाभों निधि)			III. निवेश व जमा		
क) बचत खाते पर ब्याज	15,318	6,727	क) सावधि जमा (एफडीआर) में निवेशित राशि	24,30,82,00,000	6,63,93,30,031
ख) भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि पर ब्याज	1,25,93,023	1,13,36,818	ख) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत्ति लाभ	51,64,40,000	34,68,15,442
IV) प्राप्त ब्याज			IV. अचल संपत्तियों पर व्यय		
क) राज्य सरकार/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	3,43,74,26,630	3,55,72,62,476			
ख) बचत बैंक	28,52,735	22,86,549	क) अचल परिसंपत्तियों का क्रय	24,48,051	2,94,490
ग) बैंक जमा पर	36,00,68,083	2,12,03,844			
घ) स्टाफ ऋण पर प्राप्त ब्याज	31,360	18,925			
ई) आयकर वापसी पर ब्याज	11,21,70,385	3,35,83,121			
v) अन्य आय			V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणों की वापसी	0	0
क) रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री	450	0			
ख) आरटीआई शुल्क	270	410	VI. ऋणों व अग्रिमों का भुगतान		
ग) भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	0	400	क) स्टाफ को विविध अग्रिम	5,56,000	6,98,537
घ) पुराने समाचार पत्र की बिक्री	62,583	2,545	ख) जीपीएफ से अग्रिम आहरण	69,83,070	32,51,809
ङ.) विविध प्राप्तियां	3,510	905	ग) प्रशिक्षण एवं सम्मेलन अग्रिम	0	0
VI) उधार ली गई राशि			VII.अन्य भुगतान		
क) (एडीबी) एशियाई विकास बैंक से ऋण	0	0	क) मूलधन की वापसी (एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण)	98,96,68,442	1,00,07,97,659
ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से ऋण	0	0	ख) अतिरिक्त प्राप्तियों की वापसी	60,19,522	0
			ग) बयाना/सुरक्षा जमा	0	0
VII) अन्य प्राप्तियां			घ) ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती	22,35,60,382	17,06,32,407
क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण वापसी	6,01,90,08,637	5,07,07,61,233	ङ.) जीआईएस राशि का भुगतान	60,373	26,351
			च) रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	65,84,842	65,42,502
ग) भुनाई गई सावधि जमा	16,88,17,79,552	2,36,94,00,000	छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	17,90,670	17,75,790
घ) पीएफ/एनपीएस/ईआरबी की परिपक्वता	44,60,22,604	17,53,80,052	ज) नई पेंशन योजना का भुगतान	15,71,896	8,11,106
ङ.) लाइसेंस फी	63,038	47,559	झ) वेतन से दान कटौती	2,600	1,41,732
च) स्टाफ से अग्रिम की वसूली	4,30,620	3,29,085			
छ) प्रतिनियुक्ति/कर्मचारियों से वसूली	16,49,670	14,96,900			
ज) जीआईएस धनराशि की वसूली/एलआईसी से प्राप्तियां	58,318	45,046			
झ) जीपीएफ अंशदान/अग्रिम/वापसी	53,79,396	61,80,016			
ड.) एनपीएस वसूली	8,22,320	7,44,648	VIII. अंतिम शेष राशि		
ट) रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती	62,50,492	59,02,882	क) हाथ में रोकड / प्रीपेड कार्ड में		
ठ) वेतन से वसूला गया	2,600	1,41,732	ख) बचत/सीए खाते में शेष	1,41,93,796	45,49,489
ड) स्टाफ कार के प्रयोग से संबंधित वसूली	7,700	7,700	ग) पीएफ बचत खाते में शेष	6,91,370	2,16,768
ढ) आयकर वापसी	62,40,87,855	39,46,30,227	घ) नकदी/उसके समकक्ष	0	0
कुल	**28,46,65,53,406**	**12,07,12,10,860**	कुल	**28,46,65,53,406**	**12,07,12,10,860**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2022 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि (कोष/पूंजी निधि)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**59,49,38,66,473**	**55,63,10,38,751**
जोड़ें: आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय से अंशदान	50,00,00,000	35,00,00,000
जोड़ें: व्यय पर निवल आय से अंतरण	3,63,93,21,459	3,51,28,27,722
जोड़ें: बी आर आर से अंतरित	0	0
कुल	**63,63,31,87,932**	**59,49,38,66,473**

अनुसूची-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2022 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विशेष आरक्षित		
1. बॉन्ड रिडम्प्शन रिजर्व	**0**	**0**
कुल	**0**	**0**

ह/	ह/-	ह/-
वित्त एव लेखा अधिकारी	**निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)**	**सदस्य सचिव**

अनुसूची 3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

निर्धारित (ऐंडोमेन्ट) निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर तैयारी करने हेतु अध्ययन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,400	1,400
जोड़ें: वर्ष के दौरान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	-	-
उप कुल	**1,400**	**1,400**
(ख) आरआरटीएस अध्ययन हेतु किए गए व्यय/उपयोग		
- परामर्शदाता को आरआरटीएस अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क	-	-
कुल (क - ख)	**1,400**	**1,400**

अनुसूची - 4

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

सुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण	3,88,14,86,156	3,89,16,06,109
ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	4,23,29,94,999	5,16,59,39,999
कुल	**8,11,44,81,155**	**9,05,75,46,108**

अनुसूची - 5

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

गैर-जमानती ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण	0	(अनुसूची 4 में अंतरित)
ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	0	(अनुसूची 4 में अंतरित)
कुल	**0**	**0**

ह/- वित्त एवं लेखा अधिकारी	ह/- निदेशक (प्र. एवं वित्त)	ह/- सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान देयताएं या प्रावधान		
सांविधिक देयताएं :		
1. सामान्य भविष्य निधि	5,59,55,466	5,33,61,214
2. जीआईएस निधि	1,980	2,055
3. प्रतिनियुक्त कर्मचारी से वसूली (जीपीएफ)	1,31,000	1,41,000
4. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)	7,07,775	5,74,625
5. एनपीएस बोर्ड का योगदान	3,76,234	9,62,825
उप योग	**5,71,72,455**	**5,50,41,719**
उधार पर उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं:		
1. एडीबी ऋण पर ब्याज	23,53,992	34,69,237
2. केएफडब्ल्यू (जर्मन बैंक) से ऋण पर ब्याज	2,00,11,484	2,42,90,680
उप योग	**2,23,65,476**	**2,77,59,917**
अन्य वर्तमान देयताएं:		
1. देय खर्चे	59,50,286	64,43,370
2. राज्य सरकार/एजेंसियों को ऋण के विरूद्ध अधिक प्राप्तियां	3,33,335	34,19,670
3. अग्रिम ब्याज प्राप्ति	81,370	94,931
उप योग	**63,64,991**	**99,57,971**
प्रावधान:		
1. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों हेतु		
क) ग्रेच्युटी	3,69,00,297	3,43,61,018
ख) पेंशन (वर्तमान)	77,99,236	72,62,535
ग) पेंशन (गैर वर्तमान)	35,46,46,768	33,02,41,892
घ) संचित छुट्टी नकदीकरण	3,41,66,481	3,18,15,328
ड.) चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान)	7,62,808	7,10,316
च) चिकित्सकीय लाभ (गैर वर्तमान)	5,91,95,937	5,51,22,392
उप योग	**49,34,71,527**	**45,95,13,481**
2. रा.रा.क्षे.यो.बो. प्रकोष्ठ हेतु देय व्यय का प्रावधान	5,71,25,738	4,94,84,737
उप योग	**5,71,25,738**	**4,94,84,737**
कुल योग	**63,65,00,187**	**60,17,57,825**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची 7

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अचल संपत्तियों का विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक
	01.04.2021 को तरित मूल्य	180 दिन पूर्व संवर्धन	180 दिन के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान कुल संवर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तांतरण	31.03.2022 को लागत	दर	वर्ष के प्रारंभ के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष की समाप्ति पर कुल योग	31.03.2022 को तरित मूल्य	31.03.2021 को तरित मूल्य
कार्यालय आवास आईएचसी	27,14,320	-	-	-	0	27,14,320	10%	2,71,432	-	2,71,432	24,42,888	27,14,320
कंप्यूटर पेरीफेरल	5,05,111	16,47,638	36,328	16,83,966	-	21,89,077	40%	2,02,044	6,66,321	8,68,365	13,20,712	5,05,111
फर्नीचर/फिक्सचर	6,46,731	-	1,32,285	1,32,285	-	7,79,016	10%	64,673	6,614	71,287	7,07,729	6,46,731
कार्यालय उपकरण	7,35,221	6,23,900	27,200	6,51,100	-	13,86,321	15%	1,10,283	95,625	2,05,908	11,80,413	7,35,221
वाहन	6,10,053	-	-	-	-	6,10,053	15%	91,508	-	91,508	5,18,545	6,10,053
पुस्तकालय की पुस्तकें	18,115	-	-	-	0	18,115	40%	7,246	-	7,246	10,869	18,115
कुल	52,29,551	22,71,538	1,95,813	24,67,351	0	76,96,902		7,47,186	7,68,560	15,15,746	61,81,156	52,29,551
पूर्ववर्ती वर्ष	*58,44,324*	*1,18,988*	*1,76,122*	*2,95,110*	*0*	*61,39,434*		*8,62,311*	*47,572*	*9,09,883*	*52,29,551*	*58,44,324*

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची - 8

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश - अन्य		
(क) भविष्य निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	34,11,385	34,11,385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	4,97,26,757	4,79,63,460
3. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर उपार्जित ब्याज	6,75,417	4,14,103
बचत खाते में जमा राशि	6,91,370	2,16,768
उप योग	**5,45,04,929**	**5,20,05,716**
(ख) सेवानिवृत्ति लाभ निधि		
बैंक में सावधि जमा	51,00,00,000	43,96,49,533
निवेश पर उपार्जित ब्याज	45,88,684	69,00,296
उप योग	**51,45,88,684**	**44,65,49,829**
कुल	**56,90,93,613**	**49,85,55,545**

अनुसूची-9

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

निवेश - योगदान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश - एनसीआरटीसी में योगदान	5,00,00,000	5,00,00,000
सकल योग	**5,00,00,000**	**5,00,00,000**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. वर्तमान परिसंपत्तियां		
1. रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशनों का स्टॉक	2,49,052	2,49,277
2. लेखन सामग्री का स्टॉक	73,497	1,40,479
3. विविध देनदार:		
क) अशोध्य और संदिग्ध ऋण	3,01,243	3,60,000
उप योग	**6,23,792**	**7,49,756**
4. हाथ में नकद शेष	**0**	**0**
5. बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंकों के पास		
- बचत खाता/चालू खाता	1,41,93,796	45,49,489
निवेश (एफडीआर)	22,58,70,24,137	15,09,74,17,541
उप योग	**22,60,12,17,933**	**15,10,19,67,030**
योग (क)	**22,60,18,41,725**	**15,10,27,16,786**
ख. ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ को अग्रिम	0	**42,000**
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	17,217	0
ii) एलटीसी अग्रिम	0	0
iii) विविध अग्रिम	34,364	55,123
उप योग	**51,581**	**55,123**
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियां	**46,86,69,24,062**	**50,82,80,50,699**
2. वसूली योग्य अग्रिम व अन्य राशि		
क) पूर्वदत्त व्यय	14,598	15,276
ख) अग्रिम आयकर/वसूली योग्य टीडीएस (कर का निवल प्रावधान)	63,60,37,401	97,34,87,064
ग) सैमिनार/बैठक अग्रिम	0	0
घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत)	12,648	12,648
ड.) प्राप्ति योग्य आरटीआई शुल्क (पी. ओ. द्वारा)	0	0
उप योग	**63,60,64,647**	**97,35,14,988**
3. उपार्जित आय		
क) सावधि जमा पर अर्जित किंतु अप्राप्य ब्याज	31,85,31,453	22,42,12,923
ख) कार्यान्वयन एजेंसियों व राज्यों को दिए ऋण पर उपार्जित ब्याज	1,33,54,03,506	1,47,05,67,252
ग) स्टाफ ऋण पर उपार्जित ब्याज	9,442	44,562
घ) बचत खाते पर उपार्जित ब्याज	69,489	1,82,377
उप योग	**1,65,40,13,890**	**1,69,50,07,114**
कुल (ख)	**49,15,70,54,180**	**53,49,66,69,924**
कुल (क + ख)	**71,75,88,95,905**	**68,59,93,86,710**

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	**निदेशक (प्र. एवं वित्त)**	**सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

	अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
	पूंजीगत		
1	सावधि जमा पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	55,60,30,300	54,06,40,354
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	संस्थानों के पास	0	0
घ)	अन्य	0	0
2	बचत खातों पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	27,39,847	24,45,321
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	डाकघर बचत खाते	0	0
घ)	अन्य	0	0
3	ऋणों पर:		
क)	राज्य सरकार/उनके अभिकरणों कार्यान्वयन (एजेंसियों) द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज	3,33,62,32,860	3,50,46,48,507
ख)	कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	0	3,354
ग)	अन्य: राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर दंडात्मक ब्याज़	88,563	1,05,432
घ)	आयकर वापसी पर ब्याज	11,21,70,385	3,35,83,122
	योग	**4,00,72,61,955**	**4,08,14,26,090**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

	अन्य आय :	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
	पूंजीगत		
क)	विविध आय	0	0
ख)	अत्यधिक प्रावधान	0	17,29,703
ग)	अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान का प्रावधान	0	0
घ)	राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए ऋण का पूर्व भुगतान शुल्क	0	0
ड.)	भर्ती के लिए शुल्क	0	400
	उप-योग	**0**	**17,30,103**
	आयगत		
च)	पीएफ/एनपीएस/सेवानिवृत्ति लाभ के निवेश पर ब्याज		
	पीएफ निवेशों पर ब्याज	1,26,309	25,95,884
	सेवानिवृत्ति निधि के निवेश पर ब्याज	1,05,21,345	1,23,99,758
	पीएफ के बचत खातों पर ब्याज	13,169	5,682
	एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	0	0
छ)	भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	0	0
ज)	स्टाफ कार के प्रयोग पर वसूली	8,400	8,400
झ)	आरटीआई शुल्क	270	410
ड.)	विविध-आय	62,583	3,450
	उप-योग	**1,07,32,076**	**1,50,13,584**
	कुल	**1,07,32,076**	**1,67,43,687**

ह/- **वित्त एवं लेखा अधिकारी**

ह/- **निदेशक (प्र. एवं वित्त)**

ह/- **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पुंजीगत		
क) वेतन और मजदूरी एनपीएसयोगदान सहित (आंतरिक जमा से भुगतान)	99,27,265	83,73,986
अन्य		
ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय का प्रावधान	4,34,57,765	4,74,10,583
उप-योग	**5,33,85,030**	**5,57,84,569**
आयगत		
वेतन	2,42,90,792	2,95,91,298
भत्ते एवं बोनस	1,77,38,347	1,57,18,655
एनपीएस में योगदान	10,37,964	13,12,890
अन्य		
लीव सैलरी एवं पेंशन योगदान	0	0
जीपीएफ खाते पर ब्याज	16,34,518	34,73,817
भर्ती व्यय	52,208	66,872
सम्पदा निदेशालय को दिया गया लाइसेंस शुल्क	5,90,820	5,40,699
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	63,768	25,078
प्रावधान		
ग्रेच्युटी का प्रावधान	66,81,892	30,55,187
संचित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	36,87,900	26,46,941
पेंशन (वर्तमान) का प्रावधान	77,48,646	67,93,279
पेंशन (सेवा निवृत्त) का प्रावधान	2,44,04,876	2,18,32,573
चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान) का प्रावधान	5,61,656	92,021
चिकित्सकीय लाभ (गैर वर्तमान) का प्रावधान	40,73,545	34,95,163
उप-योग	**9,25,66,932**	**8,86,44,473**
कुल	**14,59,51,962**	**14,44,29,042**

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	**निदेशक (प्र. एवं वित्त)**	**सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूंजीगत		
एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	0	0
अध्ययन और सर्वेक्षण	26,14,050	46,80,200
विज्ञापन और प्रचार	2,90,752	0
बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	4,00,033	6,93,729
लेखापरीक्षा शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	0	0
संगोष्ठी और प्रशिक्षण	0	0
प्रोफेशनल शुल्क (आवागमन व्यय सहित)	37,79,013	40,05,180
यात्रा प्रभार (योजना)	0	34,760
हाउस कीपिंग सेवाएं	31,82,257	24,61,487
उप-योग	**1,02,66,105**	**1,18,75,356**
आयगत		
विद्युत एवं जल प्रभार	7,75,234	9,98,798
सुरक्षा प्रभार	6,42,770	4,92,870
मरम्मत एवं रखरखाव	23,20,342	21,88,826
किराया, दर एवं कर	6,36,986	6,36,986
वाहनें चलाना व रखरखाव	3,78,179	4,32,122
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	2,69,956	5,83,828
प्रिंटिंग व स्टेशनरी (अनुवाद प्रभार सहित)	18,45,341	5,47,562
यात्रा और वाहन व्यय	7,22,505	5,01,127
संगोष्ठी/कार्यशाला/बैठक पर व्यय	22,770	3,460
कानूनी शुल्क पर खर्च (आवागमन व्यय सहित)	16,08,916	13,77,499
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	11,85,439	12,32,639
आतिथ्य व्यय	4,87,022	3,54,857
प्रोफेशनल शुल्क (आवागमन व्यय सहित)	8,90,643	11,03,667
अन्य	2,32,413	1,76,867
उप-योग	**1,20,18,516**	**1,06,31,108**
कुल	**2,22,84,621**	**2,25,06,464**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्र. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची 15

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रुपये में)

बाजार उधारी पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
पूंजीगत		
क) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	3,072	5,857
ख) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	10,27,70,639	14,65,33,157
ग) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में निवल अंतर	4,66,03,489	13,45,89,774
घ) भुगतान (डाक व अन्य) पर बैंक प्रभार	75,738	78,475
ड.) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण पर गारंटी शुल्क	10,86,90,553	11,90,85,048
कुल	**25,81,43,491**	**40,02,92,311**

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 16

(राशि रुपये में)

पूर्व अवधि व्यय (निवल)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
ख) पूर्व अवधि समायोजन	17,76,981	6,66,45,121
ग) पूर्व अवधि ब्याज समायोजित (पीएफ)	-4	-1,41,347
कुल	**17,76,977**	**6,65,03,774**

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

अनुसूची 17

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2022 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां

1. लेखा संविद

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत पद्धति और प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।

ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड के लेखों को लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशालय, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के निर्देशानुसार केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए जारी लेखों के समान प्रारूप में बनाया गया है ।

ग) वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नज़दीकी मूल्य तक पूर्णांकित किया गया है ।

घ) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान / सब्सिडी का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है जहाँ अंशदान अनुदान रा. रा. क्षे. यो. बो. निधि में हस्तांतरित किया जाता है तथा अनुदान सहायता (सामान्य और वेतन) का उपयोग इसके निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है ।

2. आय निर्धारण

क) सभी आय को प्रोद्भवन आधार पर लेखो में समाविशित किया गया है। कुछ आय जैसे आयकर रिफंड आदि जो उनकी वसूली में अनिश्चित हैं, नकद आधार पर लिए जाते हैं।

ख) पिछले वर्षों से संबंधित आय, यदि कोई हो, को पूर्व अवधि की मदों में अलग से लिया गया है।पिछले वर्षो से संबंधित आय को अलग से पूर्व अवधि मदो में लिया गया है ।

3. व्यय निर्धारण

क) सभी व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर लिया गया है ।

ख) पिछले वर्षो से सम्बंधित व्यय को अलग से पूर्वावधि मदो के अंतर्गत दिखाया गया है ।

4. अचल परिसंपत्ति

क) अचल परिसंपत्ति मूल्यह्रास घटाने के पश्चात हासिल मूल्य पर दर्शाई गई है।

ख) वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

5. अचल परिसंपत्तियो पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार ह्रासित मूल्य पद्धति से प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास आय-व्यय लेखा में प्राधारित किया गया है। मूल्यह्रास की दर अनुसूची 7 में दर्शाई गई है ।

6. सेवा निवृति लाभ

क) एनसीआरपीबी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ यानी छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी, पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं/लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान लेखांकन मानक - 15 (एएस15) मे 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार इस वर्ष के आय और व्यय खाते व तुलन पत्र में दिखाए गए हैं। वार्षिक प्रावधान बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से किया जा रहा है।

एएस 15 के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एक प्रमाणित बीमांकक/पेशेवर द्वारा उपर्युक्त सेवानिवृत्ति लाभ का विस्तृत बीमांकिक मूल्यांकन किया गया था। तत्पश्चात वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान, सेवानिवृत्ति लाभों का मूल्यांकन एएस15 के अनुसार, 40 वर्षों की भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (YTM%) के साथ बेंचमार्किंग डिस्काउंट दरों के आधार पर FIBIL-FIMMDA संदर्भ दरों के अनुसार, आंतरिक रूप से किया गया है।

एएस15 के पैरा 58 के अनुसार - "परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का विस्तृत बीमांकिक मूल्यांकन तीन साल से अधिक के अंतराल पर किया जा सकता है ...", अगले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उपर्युक्त सेवानिवृत्ति लाभों का विस्तृत बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणित बीमांकक/पेशेवर द्वारा किया जाएगा।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारी राजस्व में प्रभारित की गई है और बोर्ड के भविष्य निधि खाते मे अंतरित की गई है।

ग) **नई पेंशन योजना निधि:** सरकार ने 01.04.2004 से केंद्र सरकार की सेवा में नयी भर्ती वालो के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है। इतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, नई पेंशन योजना निधि का सृजन, राष्ट्रीयकृत बैंक में, मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 के पश्चात हुई है । व्यय विभाग, वित् मंत्रालय ने दिनांक 17.08.2009 के का.ज्ञा. द्वारा अनुदेश जारी किए थे कि एनपीएस (NPS) की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नेशनल सिक्योरिटी डेपोसिट्री लिमिटेड, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, मुंबई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में सितम्बर, 2009 में एनएसडीएल में आवश्यक पंजीकरण करवाया गया। एनएसडीएल द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियाँ एनएसडीएल, सीआरए मुंबई को अंतरित की गई है ।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि एनएसडीएल, सीआरए, मुंबई को भेज रहा है । बोर्ड कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब एनएसडीएल, सीआरए, मुंबई द्वारा किया जा रहा है ।

दिनांक 26.08.2021 को डीओई, एमओएफ द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के तहत दिनांक 01.04.2019 से नियोक्ता के योगदान में 10% से 14% की वृद्धि के कारण संबंधित कर्मचारियों के बकाया के कारण चालू वर्ष के दौरान एनएसडीएल को ₹8,00,245/- की राशि का भुगतान भी किया गया है।

घ) सामूहिक बीमा देनदारियां

वर्ष 2005-06 के दौरान बोर्ड ने एलआईसी के साथ सामूहिक बीमा योजना नामक एक पॉलिसी ली ताकि किसी भी तरह की देयता को उत्पन्न होते ही पूरा किया जा सके। बोर्ड अपने कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौती कर के हर माह एलआईसी को भेजता है। कर्मचारियों के सेवानिवृति और इस्तीफे पर उनके दावों को अग्रेषित किया जाता है, जिससे पॉलिसी के तहत ब्याज सहित बचत लाभ एवं बीमा कवर जहां कही भी लागू हो, का भुगतान किया जा सके ।

7. इंवेंटरी

क) एनसीआर पुस्तके एवं प्रकाशन: बेचीं गई और मानार्थ प्रति के रूप में निशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों एवं प्रकाशनों की लागत आय-व्यय लेखा में प्रभारित की जाती है तथा पुस्तकों के क्रय से प्राप्त राशि को एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों से प्राप्त आय के रूप में दर्शाया गया है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर

अविक्रित पुस्तकों के स्टॉक का लागत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलनपत्र में दर्शाया जाता है ।

ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर शेष स्टेशनरी का लागत मूल्य पर मूल्यांकन तुलनपत्र में दर्शाया जाता है ।

8. अध्ययन एवं सर्वेक्षण

अध्ययनो एवं सर्वेक्षणो पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययो को छोड़कर) आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किए जाते हैं ।

9. निर्धारित/ एडोमेन्ट निधि

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भूतपूर्व शहरी विकास मंत्रालय) ने अपने पत्र दिनांक 09.03.2010 द्वारा रा.रा.क्षे.यो.बो. के प्रस्ताव का अनुमोदन किया कि आरआरटीएस के तीन कॉरिडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के अंतर्गत मंत्रालय की निधि से किया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास मंत्रालय) से आरआरटीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान रूप में प्राप्त निधि को अलग से निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है ।

10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, सभी एनसीआर सेल द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद सभी 4 एनसीआर सेल को निर्धारित सीलिंग के अनुसार कार्यालय के आवर्ती खर्चो तथा वेतन और भत्ते के भुगतान की सभी लागतों की प्रतिपूर्ति रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्तीय वर्ष के लेखों में उचित प्रावधान किया जा रहा है तथा अगर ये दावे वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त हुए तो इसके लिए संबंधित एनसीआर सेल को पूर्व में किए गए वास्तविक भुगतान के आधार पर प्रावधान किया जाता है। एनसीआर प्रकोष्ठों के दावों के लिए अगले 18 महीनों, यानी 30-सितंबर-2022 तक, के लिए प्रतिपूर्ति की निरंतरता बोर्ड द्वारा 31.08.2021 को आयोजित अपनी 40वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित की गई थी। बोर्ड के पत्र संख्या G-25020(1)/2003-04/NCRPB-VOL-V (9103877) दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से सभी एनसीआर प्रकोष्ठों को प्रशासनिक अनुमोदन से अवगत करा दिया गया था।

11. आयकर

उपयुक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली के आदेश सं डीजीआइटी (ई)10(23सी)iv /2008 दिनांक 02.05.2008 के द्वारा वर्ष 2003-04 के बाद से रा.रा.क्षे.यो.बो., आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 23 सी (iv) के उपखंड (iv) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है। आयकर प्राधिकारियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण संख्या AAAJN0289NA2021101 के साथ प्रपत्र संख्या 10एसी दिनांक 07.04.2022 में प्रमाणपत्र के द्वारा उक्त अनुमोदन को निर्धारण वर्ष 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) तक बढ़ा दिया गया है। इसे देखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों मे आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

12. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुदान:

रा.रा.क्षे.यो.बो. दवारा दिनांक 22.03.2012 को संपन्न 32वीं बैठक में आनुमोदित किया गया- रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवेरज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत का 15% तक बोर्ड अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवेरज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर की सभी परियोजनाएँ जो पीएसएमजी (PSMG) दवारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (04.08.2011) के बाद स्वीकृत की गई, जिनमे 01.04.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं की गई है अनुदान राशि पाने के योग्य हैं। यह अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तो को पूरा करने पर प्रदान

किया जाएगा। तदनुसार, आय और व्यय खाते में 2011-12 से 2016-17 के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए थे। क्योंकि कोई भी कार्यान्वन निकाय शर्तो को पूरा नहीं कर पाया इसलिए अनुदान जारी नहीं किया गया। इस कारण व्यय को अनुसूची 18 में आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

13. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग के लेनदेन का हिसाब लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है । विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण जैसे एडीबी से अमेरिकी डॉलर तथा केएफडब्ल्यू से यूरो में लिए गए ऋण को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरो के अनुसार परिवर्तित किया है तथा परिणामस्वरूप लाभ / हानि को आय और व्यय खाते मे प्रभारित किया गया है ।

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	निदेशक (प्र एवं वित्त)	सदस्य सचिव

दिनांक: 17 जून, 2022
स्थान: नई दिल्ली

अनुसूची 18

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आकस्मिक देनदारियाँ :-

1. आकस्मिक देनदारियाँ

अनुसूची-17 के पैरा 12 के अनुसार, निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए देय अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में किसी भी आकस्मिक देनदारियों का आकलन नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, किसी भी प्रासंगिक परियोजना के गैर-पात्रता के कारण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (पानी और स्वच्छता) के लिए अनुदान के लिए किसी भी नए आकस्मिक दायित्व का आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, सीएमए पटियाला में ₹208.33/- करोड़ की अनुमानित लागत वाली एक सीवरेज परियोजना को 2020-21 के दौरान मंजूरी दी गई है और इसके अस्थायी अनुदान घटक (यानी आकस्मिक देयता) ₹31.25/- करोड़ 2022-23 में परियोजना के पूरा होने पर पात्र होंगे, जैसा भी मामला हो।

2. **पूर्व अवधि मद:**

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की टिप्पणियों के अनुसार, अलग ऑडिट रिपोर्ट नंबर-DD-II/वार्षिक A/c. NCRPB10-3/2012-13/489 दिनांक 10.10.2013 के अनुपालन मे, पूर्व-अवधि मदें आय और व्यय खातों में लाइन के नीचे अलग से दिखाई गई है। वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

क) वित्तीय वर्ष 2021-22 (अनुसूची-16) में पूर्व अवधि मदों के रूप में समायोजित एनसीआर प्रकोष्ठो को भुगतान की गई वास्तविक राशि से अधिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एनसीआर प्रकोष्ठ व्यय के लिए किया गया प्रावधान इस प्रकार है:

राजस्थान प्रकोष्ठ - ₹11,29,793.00
उत्तर प्रदेश प्रकोष्ठ - ₹41,46,740.00
हरियाणा प्रकोष्ठ - ₹ 14,023.00

₹52,90,556.00

पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में एनसीआर प्रकोष्ठ दिल्ली के लिए किए गए प्रावधान को अद्यतन कर ₹4,45,439/- (वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹1,25,000/- और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹3,20,439) कर दिया गया है। दिनांक 24.02.2022 को हुई बैठक में सूचित कुल 5 स्वीकृत पदों में से 4 रिक्त पदों को देखते हुए और इस प्रकार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पूर्व अवधि के मदों (अनुसूची 16) के रूप में ₹58,90,307/- समायोजित किए गए है।

ख) फ्लेक्सी एफडी पर पिछले वर्ष में प्राप्त ₹6,56,952/- के अतिरिक्त ब्याज को वित्त वर्ष 2021-22 में पूर्व अवधि मदों के रूप (अनुसूची-16) में समायोजित किया गया है।

ग) वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान मेसर्स एनएमआरसी द्वारा जमा किए गए अतिरिक्त टीडीएस राशि ₹34,75,789/- की वापसी को वित्त वर्ष 2021-22 (अनुसूची-16) के दौरान पूर्व अवधि की मदों के रूप में समायोजित किया गया है।

घ) पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान फ्लेक्सी एफडी पर अतिरिक्त टीडीएस के लिए ₹92,77,609/- की राशि को वित्त वर्ष 2021-22 (अनुसूची -16) में पूर्व अवधि की मदों के रूप में समायोजित किया गया है।

ङ) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एलटीसी पात्रता के कारण कर्मचारियों को खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए ₹1,15,000/- की राशि तथा वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21, के दौरान कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क की वसूली के रूप में ₹24,094/- की एक असमायोजित राशि को वित्त वर्ष 2021-22 (अनुसूची-16) में पूर्व अवधि की मदों (₹90,096/- की शुद्ध राशि) के रूप में समायोजित किया गया है।

च) ₹5,42,602/- की अतिरिक्त रसीद कार्यान्वयन/उधार लेने वाली एजेंसियों से संबंधित है, जो उनके द्वारा भुगतान किए गए अधिक ब्याज के कारण है और जिसका आज तक दावा नहीं किया गया है जैसे हुडा (हिसार) - ₹54,872/-, एमसी फरीदाबाद - ₹80,000/-, पीडब्ल्यूडी (डब्ल्यूएस एंड एस) हरियाणा - ₹39,210/- और ग्रेटर नोएडा - ₹3,68,520/-। ऐसे सभी ऋणों का भुगतान कर दिया गया है और उनके खाते में कुछ भी बकाया नहीं है। इस प्रकार, जैसा कि सीएजी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी एचएम रिपोर्ट में सुझाव दिया था, उक्त को वित्त वर्ष 2021-22 (अनुसूची-16) में पूर्व अवधि की मदों के रूप में समायोजित किया गया है।।

3. एनसीआर नियोजन एवं निगरानी प्रकोष्ठ :

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, संबंधित एनसीआर प्रकोष्ठ / राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद एनसीआर प्रकोष्ठ पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति बोर्ड कार्यालय द्वारा की जाती है। चूंकि, वित्तीय वर्ष के समापन और वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड को दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त पिछले दावों/भुगतान के आधार पर वार्षिक खाते में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, 31.3.2022 तक देय वार्षिक राशि के साथ संलग्न तुलनपत्र की अनुसूची-6 में 31.3.2022 तक देय एनसीआर प्रकोष्ठ के खर्च के लिए ₹5,71,25,738/- का प्रावधान किया गया है।

ख) वर्ष 2021-22 के दौरान, लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:

(i) **हरियाणा प्रकोष्ठ :** वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा प्रकोष्ठ को देय खर्चों का प्रावधान ₹1,32,36,557/- था, जिसके विरुद्ध, ₹1,32,22,534/- का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹14,023/- की राशि को पूर्व अवधि मदों (अनुसूची-16) मे वापस लिखा गया।

(ii) उत्तर प्रदेश प्रकोष्ठ : वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश प्रकोष्ठ को देय व्यय का प्रावधान ₹1,37,29,509/- था, जिसके विरुद्ध, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹95,82,769/- का भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹4,46,740/- की राशि को पूर्व अवधि मदों (अनुसूची-16) मे वापस लिखा गया। ।

(iii) **राजस्थान प्रकोष्ठ :** राजस्थान प्रकोष्ठ को देय व्यय के लिए वर्ष 2020-21 मे ₹1,61,82,925/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष में ₹1,50,53,932/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, ₹11,29,793/- की राशि को पूर्व अवधि मदों (अनुसूची-16) मे वापस लिखा गया।

(iv) **दिल्ली प्रकोष्ठ :** वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली प्रकोष्ठ को देय व्यय का प्रावधान ₹63,35,746/- (वित्त वर्ष 2019-20: ₹20,74,154/- और वित्त वर्ष 2020-21: ₹42,61,592/-) था। दिनांक 24.02.2022 को आयोजित एनसीआर योजना एवं निगरानी प्रकोष्ठ की बैठक में सूचित किए गए अनुसर 5 स्वीकृत पदों में से 4 रिक्त पदों को देखते हुए इसे ₹4,45,439/- कर दिया गया है। ₹58,90,307/- का शेष प्रावधान चालू वित्त वर्ष 2021-22 में वापस लिखा गया था। संयुक्त निदेशक (योजना), शहरी विकास विभाग,

जीएनसीटीडी की ई-मेल दिनांक 10.06.2022 द्वारा सूचित किए गए अनुसार स्वीकृत पद (चपरासी) में भरे गए एक पद के लिए ₹4,09,775/- (वेतन एवं भत्ते के रूप में तथा ₹1,25,000/- की निर्धारित सीमा आवर्ती कार्यालय व्यय के लिए) प्रावधान किया गया। दिल्ली प्रकोष्ठ से कोई दावा प्राप्त नहीं होने के कारण चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार 31.3.2022 तक ₹8,55,214/- का प्रावधान किया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न रूप से एनसीआर प्रकोष्ठ व्यय के लिए ₹4,34,57,765/- का प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय खाते मे प्रभारित किया गया है :

राजस्थान	-	₹1,50,53,132.00
उ.प्र.	-	₹1,47,72,324.00
हरियाणा	-	₹1,32,22,534.00
दिल्ली	-	₹4,09,775.00
कुल	-	**₹4,34,57,765.00**

4. आयकर:

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv)के अंतर्गत कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से दिनांक 02.05.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान मे रखते हुये वर्ष 2021-22 में बोर्ड के वार्षिक लेखों मे आयकर का कोई प्रावधान नही किया गया।

तथापि, वर्ष 2021-22 में उधारकर्ता-अभिकार्यों (एजेंसियो)/बैंकों ने वर्ष के दौरान बोर्ड को दिए गए ब्याज भुगतान पर ₹29,59,15,621/- का टी.डी.एस. काटा है। इस टीडीएस राशि में बैंकों द्वारा सावधि जमा पर ब्याज से ₹5,66,55,235/- की कटौती की गई है और एनसीआरपीबी से ली गई वित्तीय सहायता के ब्याज़ पर भाग लेने वाले राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा टीडीएस के रूप में काटे गए ₹23,92,60,386/- शामिल हैं। इस प्रकार ₹29,59,15,621/- की राशि पिछले वर्ष की शेष राशि ₹97,34,87,064/- में जोड़ दी गई है, जिससे सकल शेष ₹1,26,94,02,685/- हो गया है। ₹62,40,87,675/- की राशि जो आयकर विभाग द्वारा अधिक होने के कारण वापस की गई थी और पिछले वर्षों से संबंधित ₹92,77,609/- की अतिरिक्त राशि को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पूर्व अवधि मदों (अनुसूची - 16) के रूप में समायोजित किया गया है। तदनुसार, "अग्रिम आयकर / टीडीएस वसूली योग्य" ₹63,60,37,401/- अनुसूची 10 शीर्षक के तहत दिखाया गया है।

5. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार:

(क) **एशियाई विकास बैंक:** दिनांक 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार, एडीबी से उठाए गए बकाया ऋण/उधार रिपोर्टिंग मुद्रा में 51.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹376.15/- करोड़) था। बकाया ऋण पर 2021-22 के दौरान विनिमय दर भिन्नता पर ₹12.00/- करोड़ की हानि को "बाजार उधार पर व्यय" शीर्ष के तहत दिखाया गया है और आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार एडीबी ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन ₹388.15/- करोड़ (अनुसूची 4) के रूप में दिखाया गया है, जिसमें संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (डॉलर बनाम आईएनआर) शामिल है, जो ₹98.04/- करोड़ है।

(ख) **के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी):** केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी): 31.03.2022 को केएफडब्ल्यू से उठाया गया बकाया ऋण यूरो €50.00 मिलियन (रिपोर्टिंग मुद्रा में ₹430.64/- करोड़) था। बकाया ऋण पर 2021-22 के दौरान विनिमय दर भिन्नता पर ₹7.34/- करोड़ की राशि का लाभ "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है और आय और व्यय खाते में लगाया गया है। तदनुसार ₹423.30/- करोड़ (अनुसूची 4) के लिए

दिखाए गए केएफडब्ल्यू ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन, जिसमें संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (यूरो बनाम आईएनआर) शामिल है, जो अनुसूची 4 में ₹88.19/- करोड़ है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देय ऋण चुकौती और ब्याज का विवरण:

ऋण एजेंसी	मूलधन चुकौती राशि	ब्याज़ राशि*
एडीबी	13,01,05,942	1,44,64,206
केएफडब्ल्यू	85,95,62,500	8,83,06,433
कुल	**98,96,68,442**	**10,27,70,639**

*31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त राशि में उपार्जित ब्याज़ की राशि ₹2,23,65,476/- (एडीबी - ₹23,53,992/- एवं केएफडब्ल्यू ₹2,00,11,484/-) शामिल है।

6. स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय - पूंजी/योजना एवं आय/गैर योजना

अनुसूची-13 में शीर्ष स्थापना व्यय (पूंजी) के तहत दर्शाई गई ₹99,27,265/- की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से बोर्ड के दस पदों के वेतन के लिए है। सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 में पांच पद सृजित/स्वीकृत किए गए थे और इन पदों का व्यय बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से पूरा किया जाना था। इसके अलावा, एनसीआरपीबी की परियोजना प्रबंधन इकाई (परियोजना विंग) के लिए एमओयूडी पत्र दिनांक 27.01.2011 के तहत पांच अस्थायी पद सृजित किए गए हैं, और उपरोक्त 5 पदों पर होने वाले व्यय को एनसीआरपीबी द्वारा अपने आंतरिक स्रोतों से पूरा किया जाना है। बोर्ड तदनुसार इन पदों के वेतन व्यय को आंतरिक उपार्जन से वसूल कर रहा है जो 1999-2000 के बाद से आय और व्यय (पूंजी/योजना) में परिलक्षित होता है जैसा कि बोर्ड के वार्षिक खातों में हर साल प्रकट होता है।

राजस्व/गैर योजना मद के अंतर्गत भारत सरकार की बजटीय सहायता के अतिरिक्त स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से पूरा किया गया है।

7. निवेश: ईक्विटी एनसीआर परिवहन निगम लि. में योगदान

एनसीआर परिवहन निगम के गठन के लिए कैबिनेट नोट को दिनांक 11.07.2013 को मंज़ूरी दी गई। दिनांक 01.08.2013 को संस्थापन प्रलेख और संस्था के अंतर्नियम हस्ताक्षरित किए गए और एनसीआरटीसी लिमिटेड को 21.08.2013 को निगमित किया गया। इसके अलावा, बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों, आरआरटीएस परियोजनाओं के संरेखण सहित एनसीआरटीसी द्वारा देखे जायेंगे। एनसीआरटीसी, ₹100 करोड़ के प्रारंम्भिक कोष के साथ, आरआरटीएस कोरीडोर के डिजाइन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का स्वामित्व रखता है तथा इस प्रांरम्भिक कोष में निम्नलिखित अंशदान दिए जाने है :-

क्रम सं	इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति	एनसीआरटीसी में हिस्सा(%)	रकम (करोड़ ₹ में)
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.50%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.50%	22.50
3.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	12.50%	12.50
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.50%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.50%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.50%	12.50
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5.00%	5.00
	कुल	**100.00%**	**100.00**

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड ने एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹5.00 करोड़ की इक्विटी शेयर में निवेश किया है जिसके अनुरूप एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹100 प्रत्येक मूल्य के 5,00,000 शेयर प्रमाण पत्र संख्या 19 (समेकन पर शेयर प्रमाण पत्र संख्या 3 और 10 के बदले में) के तहत जारी किए हैं जो कि विशिष्ट संख्या 2501 से 2750 अर्थात 250 इकाइयाँ और विशिष्ट संख्या 1754001 से 2253750 अर्थात् 499750 इकाइयाँ, जो की सदस्य सचिव रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड (भारत के माननीय राष्ट्रपति की और से) के पक्ष में जारी हैं।

8. 31.3.2022 के अनुसार राज्य सरकार को जारी ऋण/अग्रिमों की बकाया राशि ₹46,86,69,24,062/- है जो अनुसूची-10 में दर्शाई गई है:

राज्य	रकम (₹ करोड़ मे)
राजस्थान उपक्षेत्र & सीएमए	1833.22
उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र	1880.25
हरियाणा उपक्षेत्र	935.30
दिल्ली	6.67
सीएमए पटियाला	31.25
कुल	**4686.69**

9. अशोध्य और संदिग्ध ऋण प्रावधान:
₹3,01,243/- (पिछले वर्ष की शेष राशि ₹3,60,000/-) को "अशोध्य और संदिग्ध ऋण (प्रावधान)" के अंतर्गत दिखाया गया है, जो कि कई वर्षों से अप्राप्य हो रहे हैं, जैसा कि सीएजी की लेखापरीक्षा टीम के साथ चर्चा की गई है।

10. दान: चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) के दौरान कर्मचारियों द्वारा उनके वेतन से कटौती के रूप में ₹2,600/- की राशि का योगदान दिया गया और नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी एंड आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड को दान किया गया। पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21) के दौरान कर्मचारियों द्वारा उनके वेतन से कटौती के रूप में ₹1,41,732/- की राशि का योगदान दिया गया था, जिसमें से ₹1,35,000/- कोविड 19 महामारी के कारण पीएम केयर्स फंड में दान कर दिया गया था और सांप्रदायिक सद्भाव और सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन को ₹6,732/- का दान दिया।

11. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकडें, जहां आवश्यक हो, पुन: समूहबद्ध/पुर्नव्यवस्थित किए गए है ।

ह/-	ह/-	ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी	निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)	सदस्य सचिव

दिनांक : 17 जून, **2022**
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

कोर-4बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वैबसाइट: https://ncrpb.nic.in